

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
पर्याप्त मण्डल, लखनऊ / सदस्य सचिव

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्र संख्या-गि०-२/एन०ओ०सी०/

/2017-18 दिनांक १८/१०/३०१७

विषय— सेठ आनन्दराम जयपुरिया स्कूल अन्सल सुशान्त गोल्फ सिटी सेक्टर-३, पॉकट-३ शहीद पथ लखनऊ को सी०बी०एस०इ० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि शासनादेश संख्या-१९१६/१५-७-०९-१(२९)/२००७ दिनांक 14 जूलाई 2009 द्वारा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, (आई०सी०एस०इ०) नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड औफ सेकेप्डरी एजूकेशन, (सी०बी०एस०इ०) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ की अध्यक्षता में बॉई सर्कुलेशन बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सेठ आनन्दराम जयपुरिया स्कूल अन्सल सुशान्त गोल्फ सिटी सेक्टर-३, पॉकट-३ शहीद पथ लखनऊ को सेन्ट्रल बोर्ड औफ सेकेप्डरी एजूकेशन (सी०बी०एस०इ०) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नहीं है।

1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधवी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें ८०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भल्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भल्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा-विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. शासन/प्रशासन/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश/निर्देश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेंगे।

9. जनहित याचिका संख्या-483/2004 अवनीश मेहरोत्रा प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अस्य में पारित नाम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा सी0बी0एस0इ0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्ण, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधिनित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु भलीभांति प्रशिक्षित है।
10. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
- 2— उपर्युक्त ग्रातिबन्धों का पालन करना सरकार के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त ग्रातिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

सरदार,

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

पृष्ठ-०१-२/एन०ओ०सी०/ ७७३३१-५५

/2017-18 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ।
3. जिलाधिकारी लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
6. निरीक्षक, आंगं भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, सेठ आनन्दराम जयपुरिया स्कूल अन्सल सुशान्त गोल्फ सिटी सेक्टर- ३, शहीद पथ लखनऊ।
8. गार्ड फाइल

१५-१२-१७

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

poonam kochitty
POONAM KOCHITTY
PRINCIPAL
Seth Anandram Jaipuria School
Sector-D, Pocket-3
Ansals Sushant Golf City
Lucknow